



श्रम विभाग मध्यप्रदेश शासन

प्रपत्र (ग)

(नियम 3 (3) देखिये)

(मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958)

स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र

Auto Generated

भाग - क



कार्यालय: District Labour Office, INDORE

(1) पंजीयन क्रमांक: INDO261012SE002218

(2) स्थापना का नाम: JAY JAGANNATH PACKERS AND MOVERS

(3) स्थापना का (डाक का) पूरा पता: SHOP NO 1, 112 GULAB BAGH COLONY, DEWAS NAKA, INDORE 452010 Dist.- INDORE

(4) स्थापना का कारोबार, व्यापार या व्यवसाय का स्वरूप: Commercial Establishment

(5) मालिक, प्रबंधक, अभिकर्ता (एजेंट) अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जिसके अधीन या नियंत्रण में स्थापना का कार्य संचालन होता हो

	नाम	पिता / पति का नाम	पता
मालिक	DINDAYAL AMKARE		
प्रबंधक	NIL	NIL	NIL
अभिकर्ता	NIL	-	NIL

(6) स्थापना में सेवा नियोजक के रूप में हित रखने वाले अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) यदि कोई हो तो, उनका नाम, पद और राज्य में उसका पूरा पता:

स.क्र.	नाम	पद	पता
1	NIL	NIL	NIL

(7) सेवायुक्तों की कुल संख्या	पुरुष	महिला	योग
पंजीयन शुल्क Rs. 200.00/-	3	0	3

प्रमाणित किया जाता है कि स्थापना जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्र. सन 1958) के अंतर्गत आज दिनांक 12/Oct/2026 को पंजीयन की गई है।

कार्यालय

District Labour Office, INDORE

History of Registration, Renewal & Amendments

Sr.	Date of Issue	Certificate Type	Fees paid	Validity	Date of Commencement of business	Date of First Registration
1	12/10/2026	Fresh	200.00	Life Time	01/10/2026	12/10/2026

वैधानिक / महत्वपूर्ण सूचना

- यह एक सिस्टम द्वारा उत्पन्न प्रमाणपत्र है तथा इसके लिए किसी भौतिक या डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता ऑनलाइन <https://Labour.MPOnline.gov.in> पर सत्यापित की जा सकती है।
- यदि आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी या अपलोड किये गए दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो विभाग द्वारा ऑन-लाईन प्रदत्त पंजीयन रद्द करने तथा आवेदक के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- यह पंजीयन प्रमाण पत्र बैंक लोन / स्वामित्व एवं संपत्ति विवाद / न्यायालय में जमानत / GST पंजीयन प्राप्त करने या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर श्रम विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- यह पंजीयन व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी।